न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 23/2019(A) Gcms No. 2019/00165

दायरा तिथि : 25.11.2014

प्राथमिक डिक्री दिनांकः 08.06.2015

वादी :–

1. फतेहसिंह पुत्र मोतीसिंह जाति राजपुत निवासी धणी के कामुः–
   1/1गजेन्द्रसिंह पुत्र फतेहसिंह
   1/2 दुर्गसिंह पुत्र फतेहसिंह
2. सोहनलाल पुत्र भीकाराम जाति जणवा
   निवासी भादरास तहसील देसूरी जिला पाली

प्रतिवादीगण :–

1.. भंवरसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपुत निवासी धणी
प्रतिस्थापित संत श्री जोधाराम आश्रम,
अखिल भारतीय जणवा समाज जरिये संरक्षक, श्री छोटाराम महाराज

2. श्रीमति दरियावकंवर पत्नि बागसिंहजी
जतिगण राजपुत निवासीगण धणी तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

3. तहसीलदार (भूमिधारी) बाली जरिये राजस्थान सरकार

उपस्थिति :–

1. श्री प्रदीप चौधरी — अभिभाषक वादी सं. 01 की ओर से
2. श्री गणपतलाल चौधरी — अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से
3. प्रतिवादी संख्या–02..................अनुपस्थित।
3. श्री ललितकुमार नायब तहसीलदार.................. पेरोकार सरकार

–:: निर्णय ::– दिनांक : 02-08-2022

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। वादी ने ग्राम धणी तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 840, 843, 843/1139, 849 कुल खसरा–04 कुल रकबा 8.59 हैक्टर किस्म जाव सोयम, चाही सोयम व बंजड कुल लगान 47.46 रूपये के संबध में वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या–01 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या–02 का 1/3 हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या–01 द्वारा स्वीकारोक्ति का जवाबदावा प्रस्तुत करने तथा प्रतिवादी संख्या–02 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही होने से पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट धणी में दिनांक 08.06.2015 को प्रस्तुत होने से न्यायालय द्वारा दिनांक 08.062015 को मजमा–ए–आम में वकुलाय की सहमति से रेकर्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई। प्राथमिक डिक्री आदेश की अनुपालना में तहसीलदार, बाली द्वारा विभाजन रिपोर्ट प्रस्तुत करने से दिनांक 22.07.2015 को केम्प कोर्ट बाली में वादी संख्या–01 व प्रतिवादी संख्या–01 के अधिवक्तागणो की सहमति के आधार पर प्रकरण में निम्नानुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी की गई:–

नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	लगान (रूपयो में)	विशेष विवरण
भंवरसिंह पुत्र देवीसिंह कौम राजपुत सा. देह खातेदार रहन दी पाली सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि. शाखा–बाली	843/1139 843	1.13 1.74	बंजड जा.सो.	1.13 12.18	लाईट ब्ल्यु
	02	2.87	–	13.31	
फतेहसिंह पुत्र मोतीसिंह कौम राजपुत सा. देह खातेदार रहन एस.बी.आई. शाखा फालना	843/1193 849	2.00 0.87	बंजड जा.सो. 0.40 चा.सो. 0.47	1.47 2.80 9.40	हरा रंग
	02	2.87	–	14.20	
दरियावकंवर पत्नि बाघसिंह कौम राजपुत सा. देह खातेदार	840 843/1	2.13 0.72	जाव सोयम जाव सोयम.	14.91 5.04	डार्क ब्ल्यू
	02	2.85	–	19.95	

न्यायालय द्वारा पारित फाईनल डिक्री आदेश की पालना में रेकर्ड में अमल दरामद के पश्चात् हितबद्ध पक्ष प्रतिवादी संख्या 02 दरियावकंवर की ओर से इस न्यायालय द्वारा दिनांक 22.07.2015 को जारी फाईनल डिक्री को माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के न्यायालय में चुनौती दी गई। जो अपील संख्या 66/2015 अनवान दरियावकंवर बनाम फतेहसिंह वगैरा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, पाली द्वारा दिनांक 26.11.2018 को स्वीकार करते हुये इस न्यायालय द्वारा दिनांक 08.06.2015 को जारी प्राथमिक डिक्री एवं दिनांक 22.07.2015 को पारित फाईनल डिक्री को निरस्त करते हुये प्रकरण को पुनः इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषण किया कि प्रकरण में तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभय पक्ष को साक्ष्य, सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 20 नियम 05 के परिप्रेक्ष्य में तनकीवार पृथक–पृथक विनिश्य करते हुये विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

पेज लगातार.... उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज)

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 23/2019(A) Gcms No. 2019/00165
अनवान फतेहसिंह के कामु. गजेन्द्रसिंह वगैरा बनाम भंवरसिंह प्रतिस्थापित संत श्री जोधाराम आश्रम, वगैरा
अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण प्रतिप्रेषण से प्राप्त होने पर दिनांक 05.03.2019 को प्रकरण पुनः सुनवाई पर लिया जाकर प्रतिवादीगण को पुनः जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता श्री प्रदीप चौधरी तथा प्रतिवादी संख्या–01 की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी द्वारा उपस्थिति दी गई। प्रतिवादी संख्या–02 दरियावकंवर की ओर से अधिवक्ता श्री शैलेन्द्रसिंह चौहान द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। प्रकरण प्रतिवादी संख्या–02 दरियाववकंवर के जवाबदावा प्रस्तुती के लिये लंबित रहने के दौरान् दिनांक 24.02.2020 को प्रतिवादी संख्या–02 दरियावकंवर के अधिवक्ता श्री शैलेन्द्रसिंह चौहान द्वारा No Instruction किया गया। दिनांक 26.08.2020 की आदेशिका से प्रतिवादी संख्या–02 को जवाबदावा प्रस्तुती के लिये अंतिमतम समय/अवसर प्रदान किया गया। तथा इसके पश्चात् भी प्रतिवादी संख्या–02 को जवाबदावा पेश करने के लिये समय/अवसर दिये गये। दिनांक 21.12.2020 की आदेशिका से प्रतिवादी संख्या–02 दरियावकंवर के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। तथा प्रतिवादी संख्या–01 के अधिवक्ता द्वारा भी पुर्व में प्रस्तुत जवाबदावा को ही मानते हुये प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही का निवेदन किया। चूँकि प्रतिवादी संख्या–01 द्वारा पुर्व में ईकबालिया जवाबदावा पेश किया था, जिससे प्रकरण में वाद बिन्दु की आवश्यकता नहीं होने से प्रकरण को वादी पक्ष की साक्ष्य के लिये रख गया। दिनांक 05.01.2022 को वादी पक्ष के गवाह वादी फतेहसिंह के बयान लिये गये तथा वादी पक्ष की ओर कोई मौखिक साक्ष्य पेश करना नहीं चाहने तथा प्रतिवादी संख्या–01 द्वारा भी कोई माथ्खक साक्ष्य पेश करना नहीं चाहने से पत्रावली को वास्ते बहस रखा गया। प्रकरण के लंबित रहते वादी फतेहसिंह की मृत्यु होने से वादी अधिवक्ता द्वारा मृत फतेहसिंह के कायम मुकाम को रेकर्ड पर लिये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जो प्रार्थना पत्र अंदर अवधिकाल होने से वकुलाय की बहस के पश्चात् दिनांक 06.02.2022 को स्वीकार करते हुये पत्रावली को पुनः बहस के लिये रखा गया।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात् वकुलाय की बहस सुनी गई। विद्वान् वकील वादी पक्ष श्री प्रदीप चौधरी द्वारा बहस में वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी गई कि वादी ने रेकर्ड में दर्ज वादी का 1/3 हिस्सा अनुसार विभाजन की डिक्री का वाद पेश किया था। जिस वाद में न्यायालय द्वारा जारी सम्मन तामील के बावजुद प्रतिवादी संख्या–02 दरियावकंवर अनुपस्थित रहने से प्रतिवादी संख्या–01 द्वारा प्रस्तुत स्वीकारोक्ति के जवाब के आधार राजस्व लोक अदालत केम्प धणी में दिनांक 08.06.2015 को वादी स्वयं एवं प्रतिवादी संख्या–01 के अधिवक्ता की सहमति के आधार विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई। तथा उसकी पालना में तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 22.07.2022 को केम्प कोर्ट,बाली में विभाजन की फाईनल डिक्री जारी की गई। जिसकी अपील प्रतिवादी संख्या–02 दरियावकंवर द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के न्यायालय में करने से प्रस्तुत अपील को माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली द्वारा स्वीकार करते हुये पुनः सुनवाई के लिये प्रतिप्रेषण की गई। जिसकी पालना में पत्रावली सुनवाई पर ली जाकर दरियावकंवर को अपना पक्ष रखने के लिये न्यायालय द्वारा सम्मन जारी किये जा चुके है। तथा सम्मन जारी होने पर दरियावकंवर की ओर से अधिवक्ता श्री शैलेन्द्रसिंह चौहान द्वारा 14 माह की अवधि तक पैरवी की गई। जिस दौरान् जवाबदावा के लिये कई मर्तबा समय/अवसर भी दिये गये, परन्तु जवाबदावा पेश नहीं किया गया तथा दिनांक 24.02.2020 को No Instruction Plead कर दिया। इसके बाद भी प्रतिवादी संख्या–02 दरियावकंवर को जवादावा प्रस्तुती के लिये न्यायालय द्वारा कई मर्तबा समय/अवसर दिये गये इसके बावजुद न तो जवाबदावा पेश किया गया एवं न ही न्यायालय में नियत पेशीयो पर उपस्थिति दी गई। जिससे न्यायालय आदेशिका दिनांक 21.12.2020 से प्रतिवादी संख्या–02 दरियावकंवर के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा प्रकरण में वादी पक्ष के बयान लिये गये। इस प्रकार पत्रावली में राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली द्वारा प्रदत्त निर्देशो की अनुपालना में दरियावकंवर को अपना पक्ष रखने के लिये न्यायालय द्वारा पर्याप्त समय अवसर दिये जाने के बावजुद कोई जवाबदावा प्रस्तुत नहीं करने से पुर्व पारित निर्णय अनुसार वादी के 1/3 हिस्सा के विभाजन की फाईनल डिक्री जारी किये जाने की दलील दी गई। प्रतिवादी संख्या–01 के अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी ने भी बहस में वादी का 1/3 हिस्सा, तथा प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का 1/3, 1/3 हिस्सा अनुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी किये जाने की दलील दी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अध्ययन किया गया एवं उभय पक्ष वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। प्रकरण मूल रूप से वर्ष 2014 में दर्ज होने तथा निर्णय के पश्चात् अपील होने तथा अपील निर्णय के पश्चात् पुनः इस न्यायालय को रिमान्ड से प्राप्त होने से वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड की अद्यतन जानकारी प्राप्त की गई। तथा वर्णित भूमि की ऑनलाईन जमाबंदी की प्रतियॉ प्राप्त की गई। जिसमें दर्ज इन्द्राजो का पुर्व में न्यायालय द्वारा दिनांक 22.07.2015 को पारित फाईनल डिक्री से तुलनात्मक अध्ययन किया गया। जिसके अनुसार निम्न स्थिति पाई गईः–

दिनांक 22.07.2015 को जारी फाईनल डिक्री			वर्तमान जमाबंदी में दर्ज इन्द्राज		
नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा
भंवरसिंह पुत्र देवीसिंह	843/1139 843	1.13 हैक्ट. 1.74 हैक्ट.	संत जोधाराम महाराज आश्रम अखिल भारतीय जणवा समाज जरिये संरक्षक, श्री छोटाराम महाराज	843/1139 843	1.13 हैक्ट. 1.74 हैक्ट
	02	2.87 हैक्ट.		02	2.87 हैक्ट.

पेज लगातार....03

उपखण्ड अधिकारी
बाली.जिला-पाली (राज.)

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 23/2019(A) Gcms No. 2019/00165

अनवान फतेहसिंह के कामु. गजेन्द्रसिंह वगैरा बनाम भंवरसिंह प्रतिस्थापित संत श्री जोधाराम आश्रम, वगैरा

अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

दिनांक 22.07.2015 को जारी फाईनल डिक्री			वर्तमान जमाबंदी में दर्ज इन्द्राज		
नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा
फतेहसिंह पुत्र मोतीसिंह	843/1193 849	2.00 हैक्ट. 0.87हैक्ट.	गजेन्द्रसिंह पुत्र फतेहसिंह दुर्गसिंह पुत्र फतेहसिंह	849	0.87 हैक्ट.
	02	2.87 हैक्ट	सोहनलाल पुत्र भीकाराम जाति जणवा नि. भादरास	843/1193	2.00 हैक्ट.
दरियावकंवरपत्नि बाघसिंहजी	840 843/1	2.13 हैक्ट. 0.72 हैक्ट.	दरियावकंवर पत्नि बाघसिंह	840 843/1	2.13 हैक्ट. 0.72 हैक्ट.
	02	2.85 हैक्ट.		02	2.85 हैक्ट.

इस प्रकार वर्तमान अधिकार अभिलेखों में दर्ज इन्द्राज के अनुसार ग्राम धणी तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 840, 843, 843/1139, 849 कुल खसरा–04 कुल रकबा 8.59 हैक्टर किस्म जाव सोयम, चाही सोयम व बंजड कुल लगान 47.46 रूपये संयुक्त खातेदारी में दर्ज न होकर वादी एवं प्रतिवादीगण के पृथक–पृथक माफिक पुर्व में जारी फाईनल डिक्री निर्णय दिनांक 22.07.2015 के अनुसार दर्ज है। इतना ही नहीं मूल खातेदार भंवरसिंह व फतेहसिंह के खरिदकर्ता भी वर्तमान अधिकार अभिलेखों में खातेदार दर्ज है। प्रकरण में यद्यपि माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली ने अपने निर्णय दिनांक 26.11.2018 से इस न्यायालय द्वारा दिनांक 22. 07.2015 को पारित फाईनल डिक्री निर्णय को निरस्त कर दिया था, परन्तु प्रकरण प्रतिप्रेषण करने से रेकर्ड में पुर्व की स्थिति बहाली नहीं हुई है। तथा अब प्रकरण रिमांड से प्राप्त होने के बाद अपीलार्थी दरिवावकंवर को अपना पक्ष रखने के लिये न्यायालय द्वारा जरिये सम्मन सूचित भी किया गया तथा दरिवावकंवर की ओर से अधिवक्ता भी लगभग 14 माह तक पैरवी करते रहे, लेकिन कोई जवाबदावा पेश नहीं किया गया। उनके अधिवक्ता श्री शैलेन्द्रसिंह चौहान द्वारा दिनांक 24.02.2020 को No Instruction Plead कर दिया। इसके बाद भी प्रतिवादी संख्या–02 दरियावकंवर को जवादावा प्रस्तुती के लिये न्यायालय द्वारा कई मर्तबा समय/अवसर दिये गये इसके बावजुद न तो जवाबदावा पेश किया गया एवं न ही न्यायालय में नियत पेशीयो पर उपस्थिति दी गई। जिससे न्यायालय आदेशिका दिनांक 21.12.2020 से प्रतिवादी संख्या–02 दरियावकंवर के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की गई। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली ने अपने निर्णय में यद्यपि तनकियात कायम कर तनकी वार निर्णय के निर्देश दिये गये, परन्तु जब प्रतिवादी दरिवावकंवर द्वारा कोई जवाबदावा ही पेश नहीं किया गया तो ऐसे में तनकियात विधि अनुसार कायम नहीं हो सकती, जिससे वादी पक्ष की साक्ष्य के पश्चात् प्रकरण में पुनः बहस सुनी गई है। विद्वान वादी पक्ष के अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या–01 के अधिवक्ता यद्यपि विभाजन की दलील देते है, परन्तु चूँकि भूमि वर्तमान अधिकार अभिलेखों में वादी व प्रतिवादीगण के पृथक –पृथक खातो में भूमि अलग– अलग दर्ज है। धारा 53 में विधि के प्रावधानो अनुसार संयुक्त सह खातेदारी भूमि के संबध में ही विभाजन की डिक्री जारी की जा सकती है। हस्तगत् प्रकरण में पहले से विभाजन होकर खाते अलग–अलग हो चुके है। जिससे पुनः विभाजन की कोई आवश्यकता नहीं है। तथा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के निर्णय दिनांक 26.11.2018 की अनुपालना में अपीलार्थी दरियावकंवर को अपना पक्ष प्रस्तुती के लिये न्यायालय द्वारा सुनवाई के दौरान् समूचित अवसर दिये जा चुके है। जिससे दिनांक 22.07.2015 को पारित फाईनल डिक्री एवं वर्तमान अधिकार अभिलेखों में दर्ज इन्द्राज के सबंध में धारा 53 टिनेन्सी एक्ट. के तहत नये सिरे से किसी प्रकार का निर्णय पारित करना न्यायसंगत नहीं है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(उपखण्ड अधिकारी)
आई.ए.एस.
बाली,जिला-पाली (राज.)
पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

निर्णय आज दिनांक 02-08-2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली
उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज.)

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी * बाली,जिला-पाली (राज.)